प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 08.06.2025

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता उमाशंकर पुत्र रामपलट निवासी पचगडहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, हे0का0 रामविनय यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता संजीत ढाढी पुत्र गिरजेश निवासी बड़का पुरवा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, हे0का0 जुबेर अली, का0 अमरजीत यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6005 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत भरपुरवा से कालर द्वारा दो बाईक के आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियो (1.आजाद पुत्र श्यामलाल 2. सचिन यादव पुत्र विजय यादव 3. राम सिंह यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासीगण फैजूदार थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 4. विनोद पुत्र नन्दलाल सा0 पिलिया जनपद बस्ती) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय़ता से सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राकेश कुमार, आ0 कौशल कुमार, हो0चा0 सच्चिदानन्द मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 57 वाहनों से 63,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 57 वाहनों से 63,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 486/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता तारकेश यादव पुत्र चुल्हन यादव निवासी ग्राम शाहपुर जंगल थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज को आज दिनाँक 08.06.2025 को बण्डा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को दिनाँक 11.08.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री तूफानी सिंह यादव, का0 मैनेजर यादव व का0 रजनीश यादव।